राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखंड
29वीं बैठक - दिनांक : 30 जून, 2009 का कार्य बिंदु

कार्य बिंदु संख्या - 1

माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने निर्देशित किया कि आगामी राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की बैठक में सर्वप्रथम पिछली बैठक में लिए गए निर्णयों पर की गई कार्रवाई की समीक्षा की जानी चाहिए।

(कार्रवाई - समस्त बैंक)

कार्य बिंदु संख्या - 2

माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने राज्य में लागू विशेष एकीकृत औद्योगिक प्रोत्साहन नीति 2008 का लाभ अधिक से अधिक लाभार्थियो तक पहुँचाने और औद्योगिक पैकेज के अंतर्गत हुई प्रगति की जानकारी देने हेतु निर्देशित किया ।

(कार्रवाई - उद्योग विभाग)

कार्य बिंदु संख्या - 3

माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने उपलब्ध स्थानीय एवं प्राकृतिक संसाधन का उपयोग कर युवकों को स्वरोजगार दिलाने एवं युवाओं के पलायन को रोकने हेतु योजना नियोजकों को बैंकों के साथ मिलकर उपयुक्त योजनाएं बनाने को निर्देशित किया।

(कार्रवाई - संबंधित विभाग, राज्य सरकार / अग्रणी जिला प्रबंधक बैंक)

कार्य बिंदु संख्या - 4

मुख्य सचिव ने अग्रणी जिला प्रबंधकों को निर्देशित किया कि वे स्थानीय प्रशासनिक अधिकारियों से संपर्क कर जिला टिहरी, पौड़ी, चमोली, रुद्रप्रयाग एवं अल्मोड़ा में ऋण-जमा अनुपात में वृद्धि लाने हेतु योजनाबद्ध एवं समयबद्ध आवश्यक कार्रवाई करें।

(कार्रवाई - स्थानीय प्रशासन / संबंधित अग्रणी जिला प्रबधंक)

कार्य बिंदु संख्या - 5

वीर चंद्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना के अंतर्गत वर्ष 2008-09 में 809 प्रार्थना पत्र बैंक शाखाओं को भेजे गए जिनमें से मात्र 609 प्रार्थना पत्र स्वीकृत किए गए। 25 प्रतिशत प्रार्थना पत्र बैंकों द्वारा निरस्त / वापस किए गए। यह संख्या बहुत अधिक है। अतः निरस्त / वापस किए गए प्रार्थना पत्रों की समीक्षा अविलम्ब की जानी चाहिए जिससे निरस्त / वापसी के कारणों की जाँच की जाए ताकि भविष्य में तत्संबंधी सुधार किए जा सकें।

(कार्रवाई - पर्यटन विभाग / समस्त बैंक)

कार्य बिंदु संख्या - 6

अपर मुख्य सचिव ने दिनांक 17 जून, 2009 को आयोजित समाज कल्याण बैंकर्स स्थाई समिति की बैठक में सभी जिलों में आरसेटी (RSETI) प्रारम्भ करने संबंधित निर्देशों का बैंकों को शीघ्र पालन करने का कहा।

(कार्रवाई - ग्रामीण विकास विभाग एवं संबंधित बैंक)

कार्य बिंदु संख्या - 7

अपर मुख्य सचिव ने निर्देशित किया कि वर्ष 2008-09 की वार्षिक ऋण योजना की उपलब्धियों में हुई 15 प्रतिशत की कमी को इस वर्ष की वार्षिक ऋण योजना के लक्ष्य में जोड़ दिया जाए तथा इस वर्ष का 50 प्रतिशत और पिछले वर्ष का शेष लक्ष्य सभी बैंकों द्वारा माह दिसम्बर, 2009 तक अनिवार्य रुप से प्राप्त कर लिया जाए।

(कार्रवाई - समस्त बैंक/ समस्त अग्रणी जिला प्रबंधक)

कार्य बिंदु सख्या - 8

अपर मुख्य सचिव ने अग्रणी जिला प्रबंधकों को निर्देशित किया कि वसूली प्रमाण पत्रों की स्थिति प्रत्येक माह जिला कलेक्टर को प्रस्तुत की जाए ताकि उन पर समयानुसार समुचित कार्रवाई हो सके।

(कार्रवाई - जिला कलेक्टर/ समस्त अग्रणी जिला प्रबंधंक)

कार्य बिंदु संख्या - 9

अपर मुख्य सचिव ने राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (NREGA) के अंतर्गत शेष कार्डधारकों के खाते खोलने हेतु बैंकों को निर्देशित किया।

(कार्रवाई - ग्रामीण विकास विभाग/समस्त बैंक/ अग्रणी जिला प्रबंधक)

कार्य बिंदु सख्या - 10

अपर मुख्य सचिव ने वर्ष 2009-2010 हेतु 1 लाख किसान क्रेडिट कार्ड का लक्ष्य निर्धारित करने को निर्देशित किया ।

(कार्रवाई - समस्त अग्रणी बैंक अधिकारी/ संबंधित विभाग)

कार्य बिंदु संख्या - 11

महाप्रबंधक, भारतीय रिजर्व बैंक ने राज्य में एक्सपोर्ट प्रोमोशन समिति को पुनर्गठित कर निर्यातकों की समस्यों पर विचार विमर्श करने को कहा।

(कार्रवाई - समस्त बैंक/ उद्योग विभाग/ राज्य स्तरीय बैकर्स समिति)

कार्य बिंदु संख्या - 12

मुख्य महाप्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक ने कृषि ऋण माफी और ऋण राहत योजना वर्ष 2008 के अंतर्गत शेष पात्र किसानों को तुरंत कृषि ऋण उपलब्ध करवाने को कहा।

(कार्रवाई - समस्त बैंक)

कार्य बिंदु संख्या - 13

राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखंड के आँकड़ों के मिलान हेतु सभी बैंकों तथा अग्रणी जिला प्रबंधकों से अनुरोध किया गया कि माह जून, 2009 के आँकड़ों का विवरण राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति को दिनांक 31 जुलाई, 2009 तक प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

(कार्रवाई - समस्त बैंक / समस्त अग्रणी जिला प्रबंधक)

****